


79/8



मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी, 2017

कमांक 254/4003/2016/18-5-जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा 544 प्रकार के लघु उद्योगों के लिये मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति हेतु सरलीकृत प्रक्रिया लागू किये जाने के संबंध में विभागीय आदेश कमांक एफ 5-15/1994/32/2007, दिनांक 25/01/2008 द्वारा जारी किये गये थे।

2/ मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 742 उद्योगों को बोर्ड की स्थापना एवं उत्पादन सम्मति प्राप्त किये जाने से मुक्त रखे जाने संबंधी जारी अधिसूचना दिनांक 27/12/2016 में उक्त 544 प्रकार के उद्योगों को भी शामिल किया गया है।

अतः राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी विभागीय आदेश कमांक एफ 5-15/1994/32/2007, दिनांक 25/01/2008 को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजीव शर्मा)
अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

कमांक /4003/2016/18-5

भोपाल, दिनांक जनवरी, 2017

प्रतिलिपि:

- 1/ विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, पर्यावरण, मध्यप्रदेश शासन।
- 2/ प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मा० मुख्यमंत्रीजी, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय।
- 3/ प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय।
- 4/ प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग।
- 5/ प्रबंध संचालक, ट्राईफेक, भोपाल।
- 6/ समस्त संभागायुक्त/कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
- 7/ सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर उनकी टीप कमांक 4554, दिनांक 24/12/16 के संदर्भ में प्रेषित कर अनुरोध है कि सर्वसंबंधितों को प्रसारित करने का कष्ट करें।

S.E.-III

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग